अध्याय 4

4. संपादनों की लेखापरीक्षा

राज्य सरकार कम्पनियों के संपादनों की नमूना-जांच से प्रकट महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित हैं।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कोमज़)

4.1 अतिरिक्त व्यय

पहले से ही चलायमान निविदा, जिसके मूल्य किए गए गत क्रय के अद्यतित मूल्य की तुलना में निम्नतर थे, मानने की बजाय निविदा दुबारा आमंत्रित करके कंपनी ने ₹ 4.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) ने ए.सी.एस.आर. रैबिट कंडक्टर (कंडक्टर) की 11,200 के.एम. (डी.एच.बी.वी.एन.एल. के 5,200 के.एम. सहित) की अस्थाई मात्रा के प्रापण के लिए वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक दर अनुबंध प्रदान करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की (मई 2009)। भंडार क्रय समिति (एस.पी.सी.) और निदेशकों ने प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन पर तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से योग्य तीन निम्नतम फर्मों के साथ दरों के मोल तोल के लिए सिफारिश की (जुलाई 2009)। विशेष उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एस.एच.पी.पी.सी.) द्वारा मोल तोल के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई (4 अगस्त 2009)।

गत क्रय आदेश दिनांक 24 मई 2007 के ₹ 20,521.79 प्रति के.एम. की अद्यतित दर की तुलना में प्रस्तावित* दरें कम थी। प्राप्त दरें ₹ 19,298 (एल.1), ₹ 20,206 (एल.2) और ₹ 20,790 (एल.3) प्रति के.एम. थी, मोल-तोल के दौरान सभी फर्मों ने अपनी दरों और मात्राओं को संशोधित[1] कर दिया। लेकिन एस.एच.पी.पी.सी., ने अब भी महसूस किया (4 अगस्त 2009) कि फर्मों द्वारा उद्धृत संशोधित दरें उच्चतर थी और निर्णय लिया कि एक नई लघु-अवधि निविदा आमंत्रित की जाए क्योंकि कंडक्टरज की मांग अत्यावश्यक थी।

---

* मैसर्ज न्यू लाईन इंडस प्राइवेट लिमिटेड, परवाणू (एल. 1) ₹ 19,298 प्रति के.एम. 11,200 के.एम. हेतु।
मैसर्ज ड्यूरेबल कंडक्टरज, सोलन (एल. 2) ₹ 20,206 प्रति के.एम. 5,600 के.एम. हेतु।
मैसर्ज अनामिका कंडक्टरज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (एल. 3) ₹ 20,790 प्रति के.एम. 11,200 के.एम. हेतु।

[1] मैसर्ज न्यू लाईन इंडस प्राइवेट लिमिटेड, परवाणू ₹ 19,295 प्रति के.एम. 3,000 के.एम. हेतु।
मैसर्ज ड्यूरेबल कंडक्टरज, सोलन ₹ 20,080 प्रति के.एम. 2,000 के.एम. हेतु।
मैसर्ज अनामिका कंडक्टरज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर ₹ 20,200 प्रति के.एम. 11,200 के.एम. हेतु।

तदनुसार, नई लघु अवधि निविदाएं आमंत्रित की गई और अगस्त 2009 में खोली गई। प्राप्त निम्नतम तीन प्रस्ताव ₹ 20,800 और ₹ 22,051 प्रति के.एम. के मध्य श्रृंखलित थे। एस.एच. पी.पी.सी. ने अवलोकित किया (24 अगस्त 2009) कि पूर्ववर्ती निविदा की जांच (मई 2009) के विरूद्ध प्राप्त/मोल भाव किए मूल्य की दरें नई निविदा (अगस्त 2009) की दरों से उचित तथा निम्नतर थी तथा ₹ 19,295 प्रति के.एम. की दर पर 3,000 के.एम. तथा ₹ 19,298 प्रति के.एम. की दर पर 8,200 के.एम 11,200 के.एम. कण्डक्टरों की आपूर्ति के लिए मैसर्ज न्यू लाईन इंडस प्राईवेट लिमिटेड परवाणू (फर्म) को आदेश देने का निर्णय लिया।

तथापि, फर्म ने कच्ची सामग्री के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि बताते हुए पुरानी दर पर सामग्री आपूरित करने में असमर्थता व्यक्त की तथा रेल गंतव्य तक निःशुल्क आधार पर 3000 के.एम. कंडक्टर ₹ 20,100 प्रति के.एम. की दर पर आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया (अगस्त 2009)। कंपनी ने एल.ओ.आईज रद्द कर दिए (नवंबर 2009), ₹ 2.50 लाख का बयाना धन जब्त कर लिया तथा नई निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया। आमंत्रित की गई (नवंबर 2009) तथा खोली गई (दिसंबर 2009) निविदाओं में मैसर्ज न्यू लाईन इंडस प्राईवेट लिमिटेड, परवाणू ₹ 22,750 प्रति के.एम. की दर पर 6000 के.एम. की आपूर्ति के लिए एल-1 निकली तथा मैसर्ज डयूरेबल कंडक्टरज़ सोलन एल-2, ने 5,600 के.एम. के लिए ₹ 23,680 प्रति के.एम. उद्धृत किया। एस.एच.पी.पी.सी. ने ₹ 25.96 करोड़ के संचयी मूल्य के लिए 6,000 के.एम. तथा 5,200 के.एम. कंडक्टर के लिए आपूर्ति आदेश एल-1 तथा एल-2 फर्मों को क्रमशः ₹ 22,750 तथा ₹ 23,670 प्रति के.एम. की दर पर देने का निर्णय किया।

हमने अवलोकित किया (अगस्त 2011) कि एस.एच.पी.पी.सी. ने इस तर्क पर कि दरें उच्चतर पक्ष पर थी, मोल-भाव की गई दरों को अस्वीकार करने का अविवेकपूर्ण निर्णय किया (4 अगस्त 2009) तथा तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अगस्त 2009 की मोल-भाव की गई दरें ₹ 20,521.70 प्रति के.एम. की अद्यतित दरों की तुलना में निम्नतर थी और कंडक्टर की अत्यधिक आवश्यकता थी क्योंकि स्टॉक स्थिति शून्य थी, नई निविदाएं आमंत्रित की। आई.ई.ई.एम.ए. द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित धातु अर्थात् एल्यूमीनियम (ए.सी.एस.आर. कंडक्टर में मुख्य घटक) की दरों ने भी मई और जुलाई 2009 तक की अवधि के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई थी। कंपनी के पास उन्हीं फर्मों को (जिन्होंने मई 2009 में आमंत्रित निविदा में निम्नतर दरों का प्रस्ताव दिया था) तीसरी निविदा जांच में प्राप्त दरों पर आदेश देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इन कार्यवाहियों द्वारा डिस्कोमज़ ने ₹ 4.33[2] करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

---

[2] यू.एच.बी.वी.एन.एल. 3,364.336 के.एम. x ₹ 22,750 + 2,661.086 x ₹ 23,670 घटा x 6,025.422 के.एम. x ₹ 19,298 + ई.एम.डी. ₹ 2,50,000
डी.एच.बी.वी.एन.एल. 2,751.362 के.एम. x ₹ 22,750 + 2,461.675 x ₹ 23,670 घटा 5,213.037 के.एम. x ₹ 19,298

अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2012) के दौरान सूचित किया कि मामले की जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसी पुन: निविदा, का परिहार किया जाएगा। फिर भी यह तथ्य रहता है कि डिस्कोमज ने पहले से चलायमान निविदाएं, जिनके मूल्य गत क्रय के अद्यतित मूल्य की तुलना में कम थे, मानने की बजाय निविदा दुबारा आमंत्रित करके ₹ 4.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

4.2 ट्रांसफार्मर तेल के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

उच्च अधिकार क्रय समिति के ट्रांसफार्मर तेल के क्रय के लिए दुबारा निविदा के लिए अविवेकपूर्ण आधार पर निर्णय के परिणामस्वरूप डिस्कोमज को ₹ 59.48 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) ने 3900 किलोलीटर (के.एल.)* ट्रांसफार्मर तेल के प्रापण के लिए परिवर्ती मूल्य आधार पर निविदाएं आमंत्रित की (मई 2010)। निविदा में भाग लेने वाली पांच फर्मो में से तीन फर्मो♦ ने पात्रता मापदंड पूरा किया और उनकी मूल्य बोली खोली गई (जुलाई 2010)। इन फर्मो की ट्रांसफार्मर तेल की दरें ₹ 54,947.93 और ₹ 59,115.01 प्रति के.एल. के मध्य श्रृंखलित थी। भंडार क्रय समिति (एस.पी.सी.) ने अवलोकन किया (जुलाई 2010) कि दो निविदादाताओं द्वारा उद्धृत मूल्य पिछले क्रय आदेश दिनांक 23 जुलाई 2009 के अद्यतित मूल्य (₹ 57,246.10) से कम थे। डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने राज्य वित्त मंत्री की अध्यक्षता में विशेष उच्च अधिकार क्रय समिति (एस.एच.पी.पी.सी.) के सामने क्रय प्रस्ताव रखा। एस.एच.पी.पी.सी. ने, अवलोकन (अक्तूबर 2010) पर कि निविदा की प्रतिक्रिया काफी सीमित थी तथा वही फर्में पिछले तीन-चार वर्षो से निविदा में भाग ले रही थी और गत क्रय दरों की तुलना में दरें उच्चतर थी, अगले चार मास की अनिवार्य आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए केवल 1200 के.एल. ट्रांसफार्मर तेल क्रय करने तथा शेष मात्रा के लिए निविदा दुबारा आमंत्रित करने का निर्णय लिया। एस.एच.पी.पी.सी. ने डी.एच.बी.वी.एन.एल. को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा अन्य विख्यात निजी विनिर्माणकर्ताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं को निविदाओं में सम्मिलित होने के लिए संपर्क करने हेतु आदेश भी दिए। एस.एच.पी.पी.सी. ने मोलभाव के बाद मैसर्ज सविता आयल टैक्नोलोजीस लिमिटेड मुम्बई (एल.3) को परिवर्ती मूल्य आधार पर ₹ 53,000 प्रति के.एल. की दर पर 1200 के.एल. तेल के लिए आदेश दे दिया। क्रयादेश नवंबर/दिसंबर 2010 में जारी किए गए।

बाद में, डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने 2700 के.एल. की शेष मात्रा के लिए निविदाएं आमंत्रित की (नवंबर 2010)। पांच फर्मो ने बोली में भाग लिया जिनमें से तीन फर्मो, जिन्होंने मई 2010 की पिछली निविदा के विरूद्ध पात्रता मापदंड को पूरा किया था, ने फिर से मूल्य बोली खोलने हेतु क्वालीफाई किया। इस बार निम्नतम दर 63,565.95 प्रति के.एल. थी जो नवंबर/ दिसंबर 2010 के क्रय आदेशों के अद्यतित मूल्य (₹ 61,315.13 प्रति के.एल.) की तुलना में उच्चतर थी। एस.एच.पी.पी.सी. ने परिवर्ती मूल्य आधार पर ₹ 63,500 प्रति के.एल. की

---

* यू.एच.बी.वी.एन.एल. के लिए 2,260 के.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के लिए 1,640 के.एल.

♦ मैसर्ज राज पेट्रो स्पेशलिटिज (पी.) लिमिटेड, मुंबई (एल. 1)।
मैसर्ज अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई (एल. 2)।
मैसर्ज सविता आयल टैक्नोलोजिज लिमिटेड, मुंबई (एल. 3)।

मोल-भाव की गई दर पर 2700 के.एल. ट्रांसफार्मर तेल खरीदने का निर्णय लिया (अप्रैल 2011)। दोनों डिस्कोमज[r] द्वारा क्रय आदेश जारी किए गए (मई/जून 2011)।

हमने अवलोकित किया (अगस्त 2011) कि 2700 के.एल. की शेष मात्रा के क्रय के लिए नई निविदाएं आमंत्रित करने हेतु एस.एच.पी.पी.सी. का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने खुली निविदाएं आमंत्रित की थी, जिसमें सभी फर्में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र थी। आगे, एस.एच.पी.पी.सी. की अभ्युक्तियां कि दरें उच्चतर थी, सही नहीं था क्योंकि एल 1 (₹ 54,974.93 प्रति के.एल.) और एल 2 (₹ 55,648.09 प्रति के.एल.) की दरें पिछले पी.ओ. के अद्यतित मूल्य (₹ 57,346.08 प्रति के.एल.) की तुलना में निम्नतर थी। आगे, उसी अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान में बिजली उपयोगिता के लिए जिस मूल्य पर ट्रांसफार्मर तेल क्रय किया था उसकी तुलना में तेल की दरों में अधिक अंतर नहीं थे। एस.एच.पी.पी.सी. ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि एक केन्द्रीय पी.एस.यू. अर्थात् भारत पैट्रोलियम निगम लिमिटेड ने भी निविदा में भाग लिया था परन्तु पात्रता मापदंड पूरा करने में विफल रहा। अतः, एस.एच.पी.पी.सी. द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि भागीदारी सीमित थी, न्यायसंगत नहीं था।

अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2012) के दौरान सूचना दी कि मामले की जांच की जाएगी तथा भविष्य में ऐसी पुनर्निविदा का परिहार किया जाएगा। फिर भी यह तथ्य रहता है कि एस.एच.पी.पी.सी. के नई निविदाएं आमंत्रित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप डिस्कोमज़ पर ₹ 59.48 लाख♦ का अतिरिक्त भार पड़ा।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

4.3 आर्बीट्रेशन मामले के गलत अनुसरण के कारण हानि

वारंटी अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मरों के संबंध में मामले के गलत अनुसरण के कारण कंपनी को ₹ 36.75 लाख की हानि हुई।

कंपनी ने 100 के.वी.ए. के 980 वितरण ट्रांसफार्मरों (डी.टीज) की आपूर्ति के लिए एम.ई.सी.सी.ए. पावर (पी) लिमिटेड, सारदुलगढ़ (फर्म) को ₹ 5.70 करोड़ की कुल लागत के लिए क्रय आदेश (पी.ओ.) दिए (अगस्त 2000)। आपूरित डी.टीज की वारंटी अवधि माल की प्राप्ति की तिथि से 60 मास या प्रेषण की तिथि से 66 मास, जो भी पहले हो, की थी। वारंटी अवधि के लिए वैध रहने के लिए कंपनी को ठेके मूल्य के 10 प्रतिशत के मूल्य की बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी। डी.टीज फरवरी 2001 से दिसंबर 2002 आपूरित किए गए थे। इन डी.टीज के प्रस्थापन के बाद, कंपनी के उपमण्डलीय कार्यालयों द्वारा क्षतियों, जैसे और जब वे हुई, की सूचना फर्म को दी जाती थी। तथापि, फर्म की तरफ से क्षतिग्रस्त डी.टीज़ की मरम्मत के लिए

---

r यू.एच.बी.वी.एन.एल.: 1,560 के.एल. की आपूर्ति हेतु पी.ओ. नं. 6607 दिनांक 2 जून 2011
डी.एच.बी.वी.एन.एल.: 1,140 के.एल. की आपूर्ति हेतु पी.ओ. नं. 766 दिनांक 10 मई 2011

♦ यू.एच.बी.वी.एन.एल.: 1,560.02 के.एल. X ₹ 2,184.87 = ₹ 34.08 लाख और डी.एच.बी.वी.एन.एल.: 1,162.535 के.एल. X ₹ 2,184.87 = ₹ 25.40 लाख।

कोई अनुक्रिया नहीं थी और संख्या बढ़नी चालू रही और जनवरी 2006 तक 226 तक पहुंच गई। चूंकि फर्म क्षतिग्रस्त डी.टी.सी. की मरम्मत करने में विफल रहीं, कंपनी ने फर्म को ₹ 1.53 करोड़ की वसूली का नोटिस भेज दिया। इसके बदले यह कहते हुए कि डी.टीज की मरम्मत का उत्तरदायित्व इसका है न कि कमियों/टूटे पुर्जो को पूरा करना, फर्म ने कम/टूटी मदों की माल सूची बनाने के लिए संयुक्त निरीक्षण के लिए अनुरोध किया (फरवरी 2006)। संयुक्त निरीक्षण के अनुरोध को कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया इस आधार पर कि यह ठेके में शामिल नहीं था और ₹ 57.02 लाख की बी.जी. का (मार्च 2006) नकदीकरण करवा लिया गया। फर्म ने कंपनी को इस झगड़े के निपटान के लिए एक आरबीट्रेटर की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया (अप्रैल 2006)। आरबीट्रेशन में जाते समय 218 क्षतिग्रस्त डी.टीज भंडार में पड़े थे और 18 डी.टीज़ फर्म द्वारा उठा लिए गए थे परन्तु अभी तक लौटाए नहीं गए थे।

आरबीट्रेटर ने अपने निर्णय (नवंबर 2008) में कंपनी को ₹ 57.02 लाख की बी.जी. राशि रिफंड करने हेतु निर्देश दिया और ब्याज तथा मानहानि के मुआवजे, मुकद्दमा व्यय तथा आरबीट्रेशन की लागत के प्रति ₹ 40.71 लाख भी उद्गृहीत किए। आरबीट्रेटर ने निर्णय दिया कि डी.टीज़ के भौतिक निरीक्षण (अगस्त 2008) के दौरान कमियां, जैसा कि फर्म द्वारा आरोपित की गई थी, प्रमाणित हो गई। आरबीट्रेटर ने आगे निर्णय किया कि वारंटी अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त डी.टीज़ की फर्म को सूचना के अपने दावे तथा फर्म द्वारा 18 डी.टीज़ को मरम्मत के लिए उठाने परन्तु अभी तक वापस नहीं किए गए के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने में भी कंपनी विफल रही। विधि न्यायालय में कंपनी की निर्णय को चुनौती (फरवरी 2009) भी रद्द कर दी गई (मार्च 2010)। कंपनी ने फर्म को ₹ 97.73[@] लाख निर्मुक्त कर दिए (15 अक्तूबर 2010)।

हमने अवलोकित किया (नवंबर 2011) कि कंपनी ने यह दर्शाते हुए कि क्षतिग्रस्त डी.टीज़ की सूचना समय पर भेजी गई थी अभिलेख आरबीट्रेटर के समक्ष नहीं प्रस्तुत किए जिसके फलस्वरूप आरबीट्रेटर ने निर्णय दिया कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि डी.टीज़ वारंटी की अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त हुए थे। इसके फलस्वरूप उनके मरम्मत पर किया गया ₹ 24.56 लाख[δ] का अतिरिक्त व्यय हुआ। फर्म द्वारा मरम्मत के लिए उठाए गए पर न लौटाए गए 18 डी.टीज[Υ] के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण आरबीट्रेटर के समक्ष प्रस्तुत करने में भी कंपनी विफल रही, इस तथ्य के बावजूद कि इसके पास इन डी.टीज़ को उठाने संबंधी दस्तावेज थे, परिणामत: ₹ 12.19 लाख[#] की हानि हुई।

@ बैंक गारंटी की राशि - ₹ 57.02 लाख, मान और व्यापार की हानि के लिए मुआवजा - ₹ 1.00 लाख, मुकद्में के खर्चे - 0.50 लाख, आरबीट्रेशन की लागत - ₹ 1.54 लाख और बैंक गारंटी पर ब्याज - ₹ 37.67 लाख।

δ 218 डी.टीज x ₹ 11,268 (मरम्मत की औसत लागत)।

Υ जून 2005 में 2 डी.टीज और मार्च 2006 में 16 डी.टीज।

18 डी.टीज x 67,735 (डी.टी. की औसत लागत)।

अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2012) के दौरान सूचित किया कि कंपनी के द्वारा सर्वोत्तम प्रयत्न किए जाने के बावजूद फर्म के पक्ष में निर्णय दिया गया तथा कंपनी के पास हानि वहन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। सरकार का दावा तर्कसंगत नहीं था क्योंकि फर्म को भेजे गए क्षतिग्रस्त डी.टीज़ के संबंध में विभिन्न सूचना-पत्र तथा फर्म के प्रतिनिधि के द्वारा 18 डी.टीज़ को उठाने के लिए कंपनी के द्वारा जारी गेट पास अनुरक्षित करना तथा आरबीट्रेटर के सामने प्रस्तुत करना कंपनी का उत्तरदायित्व था। आरबीट्रेशन केस के गलत अनुसरण के अन्ततः परिणामस्वरूप ₹ 36.75 लाख की हानि हुई।

4.4 सांविधिक प्रावधान की उल्लंघना के कारण परिहार्य देयता

कंपनी उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा पर भुगतान किए ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती करने में विफल रही जिसके फलस्वरूप आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार ₹ 26.28 लाख की शास्ति तथा ₹ 6.86 लाख के दंडात्मक ब्याज के कारण देयता हुई।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने अधिसूचित किया (26 जुलाई 2005) कि अवधि, जिसके लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अनुबंध चल रहा है, के दौरान भुगतान में किसी चूक के विरूद्ध सुरक्षा के लिए उन्हें आपूर्ति की गई/की जाने वाली बिजली के लिए खपत प्रतिभूति के रूप में उपभोक्ता हर समय कंपनी के पास चार मास/दो मास♦ की खपत प्रभार के बराबर एक राशि रखेंगे। कंपनी को उपभोक्ता द्वारा जमा की गई ऐसी खपत प्रतिभूति पर स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा अधिसूचित बचत बैंक दर या कोई ऐसी उच्चतर दर जो एच.ई.आर.सी. समय-समय पर निश्चित कर सकती है, पर ब्याज का भुगतान किया जाना है। इस प्रकार उपभोक्ता द्वारा उपार्जित ब्याज प्रतिवर्ष अप्रैल और मई महीनों के बिजली बिलों में समायोजित किया जाना था।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 ए प्रत्येक प्रापक पर प्रत्येक ₹ 5000/-से बढ़ने वाले ब्याज पर 10 प्रतिशत (व्यक्ति) और 20 प्रतिशत (कंपनियां) की दर पर स्रोत पर कर की कटौती के दायित्व का आदेश देती है। स्रोत पर कर की कटौती में विफलता के मौके पर प्रापक स्रोत पर कटौती योग्य कर की राशि के बराबर एक राशि शास्ति के लिए दायी है। इसके अतिरिक्त चूक किए गए कर भुगतान पर एक प्रतिशत प्रतिमास की दर पर ब्याज भी भुगतान योग्य है।

जून 2011 तथा मार्च 2012 के दौरान कंपनी के पानीपत, यमुनानगर सर्कल की लेखापरीक्षा में हमने अवलोकित किया कि ये तत्रैव, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में विफल रहे थे तथा 2008-11 के दौरान अपने उपभोक्ताओं को दिए गए ₹ 1.31 करोड़ के ब्याज पर ₹ 26.28 लाख का स्रोत पर कर की कटौती करने में विफल रहे। यद्यपि कंपनी ने स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश जारी किए थे (फरवरी 2011) फिर भी ये कार्यालय आयकर अधिनियम 1961, के प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहे। इसने ₹ 26.28 लाख की शास्ति और आगे ₹ 6.86 लाख दण्डक ब्याज (मार्च 2012 तक) का उद्ग्रहण आकर्षित किया।

♦ चार महीने, जहां द्विमासिक बिलिंग का प्रचलन है और दो महीने, जहां मासिक बिलिंग का प्रचलन है।

अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सूचित किया (सितंबर 2012) कि आवश्यक वसूलियां परवर्ती बिलों में उपभोक्ताओं से कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी शास्ति और दण्डक ब्याज उपभोक्ताओं से वसूल नहीं कर सकती जो कि कंपनी के संबंधित कर्मचारियों की ओर से चूक के कारण उपार्जित हुआ।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

4.5 गलत श्रेणी में कनेक्शन की निर्मुक्ति

गलत शुल्क दर श्रेणी अनुप्रयोग करके कंपनी ने ₹ 52.68 लाख की राजस्व हानि उठाई।

कंपनी, सभी गैर-रिहायशी परिसरों अर्थात् व्यापार भवनों, सिनेमाघरों, क्लबों, सार्वजनिक कार्यालयों, होटलों इत्यादि को गैर-घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.) शुल्क दर प्रयोग करती है तथा मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवाएं और अन्य मिलिट्री स्थापनाओं, रेलवे (कर्षण से अन्य) केन्द्रीय पी.डब्ल्यू.डी., अस्पतालों, स्कूलों, कालेजों, विभागीय कालोनियों सहित कालोनियों और बहुमंजलीय इमारतों इत्यादि को भारी आपूर्ति (बी.एस.) शुल्क दर लागू है। एन.डी.एस. श्रेणी के अंतर्गत शुल्क दर बी.एस. श्रेणी की तुलना से उच्चतर♥ है।

यूनिटेक व्यापार पार्क लिमिटेड (उपभोक्ता) ने यूनिटेक व्यापार केंद्र, सैक्टर 43, गुड़गांव के लिए 2700 के.डब्ल्यू. के कनेक्टिड लोड के साथ विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया (जून 2003)। मुख्य अभियंता (सी.ई.) ने 2000 के.डब्ल्यू. से अधिक कनैक्टिड लोड स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के नाते प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी (जून 2003) बाद में सेवा कनेक्शन आदेश दिसंबर 2006 में निर्मुक्त कर दिया गया।

हमने अवलोकित किया (मई 2011) कि चूंकि उपभोक्ता का परिसर/इमारत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जा रहा है, उपभोक्ता को एन.डी.एस. श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। तथापि, कंपनी ने बी.एस. श्रेणी के अंतर्गत लोड संस्वीकृत कर दिया। गलत शुल्क दर श्रेणी में कनेक्शन की यह निर्मुक्ति जनवरी 2007 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान ₹ 52.68 लाख के कम राजस्व की वसूली का कारण बनी।

एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2012) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि कनेक्शन बल्क एन.डी.एस. श्रेणी के अंतर्गत, न कि बी.एस. श्रेणी के अंतर्गत दिए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एन.डी.एस.-बी.एस. श्रेणी में मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवाएं और अन्य मिलिट्री स्थापनाएं, रेलवे (कर्षण से अन्य) केन्द्रीय पी.डब्ल्यू.डी. अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाएं और अन्य संस्थाएं तथा अन्य इसी प्रकार की स्थापनाएं जो शासकीय एवं सेवा प्रकृति की हैं, शामिल हैं तथा इसमें वाणिज्यिक प्रयोजन के

♥ एन.डी.एस. कनेक्शन के लिए सितंबर 2010 तक ₹ 4.19 प्रति इकाई की दर पर और उसके बाद ₹ 4.60 प्रति इकाई की दर पर।
बी.एस. कनेक्शन के लिए सितंबर 2010 तक ₹ 4.09 प्रति इकाई की दर पर और उसके बाद ₹ 4.30 प्रति इकाई की दर पर।

लिए प्रयुक्त किए जाने वाले परिसर शामिल नहीं हैं। उपभोक्ता का परिसर/इमारत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था इस प्रकार, कनेक्शन की निर्मुक्ति एन.डी.एस. श्रेणी, जो सभी गैर रिहायशी परिसरों पर लागू है, के अंतर्गत की जानी चाहिए थी। कंपनी ने परिणामत: ₹ 52.68 लाख की राजस्व हानि उठाई

4.6 अवसूली

हरियाणा सिविल सेवाएं, आश्वासित कैरियर प्रोत्साहन नियम 1998 के उल्लंघन में कंपनी ने अपात्र कर्मचारियों, जिन्हें ए.सी.पी. वेतनमान स्वीकृत किए गए थे, को भुगतान किए गए ₹ 20.75 लाख की वसूली नहीं की।

बिजली वितरण उपयोगिता अपने कर्मचारियों को समान वेतनमानों का लाभ दे रही है जैसाकि हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जा रहा है। कंपनी को वित्त विभाग की सहमति के बिना राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो अनुमत है उनसे अधिक वेतन और भत्ते के रूप में कोई लाभ प्रदान करने के लिए शक्तियां नहीं सौंपी गई हैं। इन आदेशों की तरह कंपनी ने सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए घोषित 'आश्वासित कैरियर प्रोत्साहन योजना' के लाभ प्रदान किए।

हमने अवलोकित किया (दिसंबर 2010) कि कंपनी ने उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन में, उनकी पदोन्नति को कंपनी में प्रथम प्रवेश की तरह मानते हुए उन मंडलीय/राजस्व लेखाकारों और अनुभाग अधिकारियों, जो निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करने में असमर्थ रहे, को भी ए.सी.पी. स्केल का लाभ प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए (मई 2007)। हरियाणा सरकार, वित्त विभाग ने इस विपथन को देखकर, विद्युत विभाग को मई 2007 का आदेश वापस लेने तथा वित्तीय अनौचित्य के लिए संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कंपनी को निदेश देने हेतु परामर्श दिया (मार्च 2010)।

कंपनी ने यद्यपि मई 2007 के आदेश वापस ले लिए (अक्तूबर 2010) परन्तु अपात्र कर्मचारियों, जिनको कथित नियमों के उल्लंघन में ए.सी.पी. स्केल प्रदान किए गए थे, को भुगतान किए गए ₹ 20.75 लाख की वसूली नहीं की। कंपनी ने बताया (फरवरी 2012) कि वित्तीय अनौचित्य के लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है और स्केल प्रदान करने का निर्णय निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) द्वारा लिया गया था और स्थिति वित्त विभाग को पहले ही सूचित कर दी गई थी (अक्तूबर 2010)। इस प्रकार, वाद रह जाता है कि कंपनी अपात्र कर्मचारियों को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने में विफल रही यद्यपि कंपनी ने मई 2007 के आदेश वापस ले लिए थे।

अपर प्रधान सचिव, विद्युत विभाग, हरिया ा सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2012) के दौरान बताया कि न्यायिक नि यि के अनुसार इस प्रकार के मामलों में वसूली नहीं की जा सकी। तथापि, तथ्य रहता है कि बी.ओ.डी. के गलत नि यि के कारण अपात्र कर्मचारियों को ए.सी.पी. स्केल की स्वीकृति हुई जिसके फलस्वरूप अधिक भुगतान हुआ।

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड

4.7 फालतू निधियों का अविवेकी प्रबंधन

फालतू निधियों के अविवेकी प्रबंधन के कारण अप्रैल 2009 से नवंबर 2010 तक कंपनी ने ₹ 27 लाख का ब्याज अर्जित करने का मौका गंवा दिया।

सरकार ने राज्य सार्वजनिक सैक्टर उद्यमों द्वारा फालतू जमाओं/निधियों के निवेश पर मार्ग निर्देश जारी किए। (जून 1997) उन्होंने निर्धारित किया कि एक पारदर्शी प्रणाली अपनाकर सुरक्षा उपलब्ध करवाते हुए केवल ऋण प्रतिभूतियों/सावधि जमाओं इत्यादि में निवेश किए जाने थे। निवेश करने से पूर्व, नकदी प्रवाह, कार्यचालन पूंजी आवश्यकताओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए फालतू निधियों की उपलब्धता का अनुमान लगाया जाना था और तदनुसार निवेश की अवधि चुनी जानी थी।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2011) कि तुरंत आवश्यकताओं से परे फालतू निधियां कंपनी के चालू खातों में पड़ी थी। अप्रैल 2009 से नवंबर 2010 के दौरान फालतू राशियां ₹ 2 करोड़ से ₹ 20.86 करोड़ तक श्रृंखलित थी। उस समय निर्णय लेकर कंपनी अपनी फालतू निधियां सावधि जमाओं या किसी अन्य उपयुक्त वित्तीय दस्तावेजों में निवेश कर सकती थी। यदि कंपनी ने अप्रैल 2009 से नवंबर 2010 के दौरान सावधि जमा में ₹ 2 करोड़ भी निवेश करती तो यह ₹ 27 लाख* की ब्याज आय अर्जित कर लेती।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (फरवरी 2012) तथा एग्जिट कान्फ्रेंस (नवंबर 2012) में सूचित किया कि सुधारात्मक उपाय किए गए हैं तथा सभी बैंक खाते आटो स्वीप सुविधा के साथ खोल दिए गए हैं।

हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड

4.8 राजस्व की हानि

कंपनी ने निविदा के अंतिमकरण में देरी के कारण ₹ 48.39 लाख के राजस्व की हानि उठाई।

कंपनी, जमा आधार पर निर्माण कार्यों में संलिप्त है तथा इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित टोल बिन्दुओं पर टोल संग्रहण का कार्य सौंपा गया है। कंपनी ने 30 जून 2010 को उस समय चालू अनुबंध के समापन के तुरंत पश्चात् से एक वर्ष के लिए शामली-पानीपत मार्ग (टी-13) पर टोल संग्रहण के लिए बोलियां आमंत्रित की (31 मार्च 2010)। राज्य सरकार के अनुमोदन (3 जून 2010) के बाद वित्तीय बोलियां खोली गई (14 जून 2010)। कंपनी ने उच्चतम बोलीकर्त्ता (ठेकेदार) को ₹ 6.68 करोड़ प्रति वर्ष अर्थात् ₹ 55.67 करोड़ प्रति मास पर एक

* अप्रैल 2009 से नवंबर 2010 तक (20 महीने) 8.10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर परिकलित।

साल के लिए स्वीकृति पत्र (एल.ओ.ए.) जारी कर दिया तथा 2 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 (364 दिन) तक अधिसूचित दरों पर टोल संग्रहण के लिए प्राधिकार पत्र (एल.ए.) प्रदान कर दिया। ठेकेदार ने कंपनी को इसकी प्रक्रिया के अनुसार ठेका 30 सितंबर 2011 तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया क्योंकि निविदा आमंत्रित करने वाले विस्तृत नोटिस में ठेके की अवधि एक वर्ष की थी और उसे ठेका केवल 364 दिन के लिए दिया गया था। कंपनी ने अनुरोध स्वीकार कर लिया तथा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर ठेका 30 सितंबर 2011 तक बढ़ा दिया। इस वृद्धि से अनुवर्ती ठेके के आरंभ में देरी हो गई और यह 1 अक्तूबर 2011 से 30 सितबर 2012 तक शुरू हुआ जो अन्य ठेकेदार को ₹ 8.62 करोड़ अर्थात् ₹ 71.80 लाख प्रति मास पर प्रदान किया गया।

हमने अवलोकित किया (दिसंबर 2011) कि कंपनी ने राज्य सरकार के अनुमोदन की प्राप्ति के बाद वित्तीय बोली को खोलने में देरी कर दी। इसी प्रकार, एल.ओ.ए. 16 जून 2010 को जारी कर दिया गया परन्तु एल.ए. 15 दिन बाद 1 जुलाई 2010 को प्रदान की गई। बोली को खोलने और परिणामत: एल.ए. प्रदान करने में देरी के कारण ठेके को 2 जुलाई 2010 से शुरू करवाया गया तथा ठेके की अवधि पूर्ण एक वर्ष की बजाय 364 दिन तक कम हो गई। बाद में बोलीकर्त्ता की मांग पर ठेके की अवधि 30 सितंबर 2011 तक बढ़ानी पड़ी थी। इस प्रकार, निविदा के अंतिमकरण में देरी के कारण कंपनी ने ₹ 48.39 लाख♦ के राजस्व की हानि उठाई।

कंपनी ने बताया (अप्रैल 2012) कि वित्तीय बोलियां नहीं खोली जा सकी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने एक बोलीकर्त्ता के अभिवेदन का निर्णय करने के निर्देश दिए थे (18 मई 2010) जिसका अंत में 25 मई 2010 को निर्णीत किया गया। तत्पश्चात, वित्तीय बोलियां सभी बोलीकर्त्ताओं को नोटिस देने के बाद 16 जून 2010 को खोली गई। एल.ओ.ए. भी उसी तिथि को जारी कर दिया गया। ठेकेदार ने 28 जून 2010 को निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत की जिसकी बैंक से 30 जून 2010 को सत्यापन करने के बाद ठेकेदार को 1 जुलाई 2010 को एल.ए. जारी कर दिया गया।

एक्जिट कान्फ्रेंस (नरवंबर 2012) के दौरान अपर मुख्य सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) विभाग, हरियाणा सरकार तथा कंपनी के एम.डी. ने बताया कि अभिवेदन पर कोर्ट के निर्णय के पश्चात् एल.ओ.ए. जारी करने में कोई विलंब नहीं था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कंपनी, एल.ओ.ए. जारी करने में एक दिन के भी विलंब के परिणामों से भली भांति अवगत थी तथा अनुबंध के आरंभ करने में एक दिन के विलंब हेतु तीन माह का विस्तारण प्रदान करने में कंपनी की कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ 48.39 लाख की हानि हुई।

♦ ₹ 71.80 लाख और ₹ 55.67 लाख का अंतर अर्थात् ₹ 16.13 लाख x 3 माह।

4.9 राजस्व की हानि

आबंटन पत्र के विलंबित निर्गम के कारण कंपनी ने ₹ 78 लाख के राजस्व की हानि उठाई।

कंपनी ने एक वर्ष की अवधि के लिए फिरोजपुर-झिरका-बीवन मार्ग पर टोल कर के संग्रहण के लिए ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की। बोली बंद होने की तिथि से 90 दिन अर्थात् 24 अक्तूबर 2010 तक की वैधता के साथ बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2010 थी। बोलीकर्त्ताओं द्वारा बयाना धन 5 अगस्त 2010 तक जमा करवाया जाना था।

निविदा आबंटन समिति (टी.ए.सी.) ने 3 नवंबर 2010 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान ₹ 5.09 करोड़ प्रतिवर्ष की मैसर्ज आर.के. कंस्ट्रक्शन कंपनी (ठेकेदार), मेरठ की उच्चतम बोली स्वीकार करने का नि र्य लिया। कंपनी ने ठेकेदार को 3 नवंबर 2010 को स्वीकृति पत्र (एल.ओ.ए.) जारी किया और 24.11.2010 तक क्रियान्वित किए जाने वाले ठेका अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए प्रतिभूति जमा करने के लिए कहा। ठेकेदार ने, तथापि, तर्क देते हुए कि बोली की वैधता पहले ही समाप्त (24 अक्तूबर 2010) हो चुकी थी, एल.ओ.ए. स्वीकार नहीं किया (5.11.2010) और बयाना धन के रिफंड हेतु अनुरोध किया। ठेकेदार ने एल.ओ.ए. रद्द करवाने कि लिए पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की (16 नवंबर 2010)। न्यायालय ने निर्णय दिया (8 अप्रैल 2011) और ठेकेदार को 1 मई 2011 से 31 मार्च 2011 तक निविदा का संचालन, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जो 2 जुलाई 2010 की निविदा में निहित थी, करने हेतु विकल्प दिया। दोनों पक्षों के इसके लिए सहमत होने पर, कंपनी ने टोल संग्रहण के लिए ठेका मई 2011 से मार्च 2012 तक दे दिया। इतने में, 25 अक्तूबर 2010 से 30 अप्रैल 2011 तक टोल संग्रहण विभागीय तौर पर किया गया।

हमने देखा (दिसंबर 2011) कि निविदा के खण्ड 9 और बोलीकर्त्ताओं को निर्देशों की धारा 2 के खण्ड 7 ने निर्धारित किया कि बोली की वैधता 24 अक्तूबर 2010 अर्थात् बोली की समाप्ति की तिथि (27 जुलाई 2010) से 90 दिन तक थी, कंपनी ने 90 दिनों की गणना बोली की समाप्ति तिथि या बयाना धन के जमा करने की तिथि से करने में अस्पष्टता का उल्लेख करते हुए बोली की वैधता 3 नवंबर 2010 अर्थात् बयाना धन के जमा करने की तिथि से 90 दिन तक माना। तथापि, कंपनी ने ठेकेदार को एल.ओ.ए. समय पर जारी नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकद्दमेबाजी हुई तथा टोल ठेकेदार द्वारा टोल संग्रहण करने में समर्थ न होने तथा इसके बजाए विभागीय तौर पर करवाने के कारण ₹ 78 लाख[#] के राजस्व की हानि उठाई।

---

25 नवंबर 2010 से 30 अप्रैल 2011 (157 दिन) तक की अवधि से संबंधित ठेकेदार के प्रस्ताव (₹ 5.09 करोड़ x 157 दिन, 365 दिन = ₹ 2.19 करोड) और विभागीय संग्रहण (₹ 1.41 करोड़) का अंतर।

एक्जिट कान्फ्रेंस (नरवंबर 2012) के दौरान अपर मुख्य सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) विभाग, हरियाणा सरकार तथा कंपनी के एम.डी. ने बताया कि प्रथा के अनुसार, संगठन के हित में बयाना धन के प्रस्तुतिकरण की तिथि से 90 दिनों की अवधि परिगणित की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि पार्टियां बोली दस्तावेजों की शर्तों से बंधी थी तथा जैसा कि कोर्ट ने आपसी सहमति से निविदा लागू करने हेतु ठेकेदार को विकल्प दिया था, निर्णय ठेकेदार के पक्ष में था तथा केवल कंपनी के पक्ष में नहीं था।

4.10 अनियमित व्यय

कंपनी ने निधियों की प्राप्ति के बिना ₹ 28.90 करोड़ पर दो मार्गों की मरम्मत की।

कंपनी, निर्माण, सड़कों और पुलों के निर्माण एवं मरम्मत और अन्य कोई संरचना कार्य के मुख्य उद्देश्यों के साथ स्थापित की गई थी। यह पी.डब्लू.डी. सड़कों के उन्नयन/मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़कें) पी.डब्लू.डी. (बी. एंड आर.) हरियाणा की ओर से जमा कार्य करती है। कंपनी द्वारा इन क्रियाकलापों को करते हुए नीचे बताए मामलों का अनुसरण विभिन्न सांवधिक प्रावधानों की अनुपालना के साथ स्वतंत्र और प्रबंधकीय प्रणाली की आवश्यकता है।

- हरियाणा पी.डब्लू.डी. संहिता (कंपनी को लागू) के प्रावधान अपेक्षा करते हैं कि जमा कार्य के कारण कोई देयता पूर्ण किए जाने से पूर्व निधियां वसूल की जानी चाहिए। कार्य को संबंधित प्राधिकारियों से तकनीकी तथा प्रशासनिक संस्वीकृति भी प्राप्त होनी चाहिए;

- स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा मजबूत वित्तीय प्रथाओं के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रत्येक परियोजना के विरूद्ध प्राप्त निधियों के पृथक लेखे रखना अपेक्षित है; तथा

- अपने संपादनों में स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की राज्य सरकार के विभागीय कार्यचालन से अलग स्वतंत्र प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए।

हमने अवलोकित किया (जनवरी 2011) कि पी.डब्लू.डी. (बी. एंड आर.) ने कंपनी को जमा कार्य के आधार पर दो मार्गों अर्थात् जटवाड़ा मार्ग सहित सहलवास अम्बोली–बिठाला–ढाकला एस.एच.–22 तथा झज्जर जिले में छछालावास–अचेज–पोहरीपुर–मलिकपुर–सतीपुर मार्ग का मरम्मत कार्य आबंटित किया। कार्य ₹ 28.90 करोड़ के लिए निम्नतम बोलीकर्त्ता मैसर्ज गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, हिसार को दे दिया गया (अगस्त 2009)। चूंकि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) ने इस कार्य के लिए निधियां जमा नहीं करवाई, कंपनी ने अन्य कार्यों (शीर्ष 5054 एन.सी.आर.) से निधियां विपथित करके कार्य पूर्ण करवाया। इस कार्य पर कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति अभी तक पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा नहीं की गई

थी (जुलाई 2012)। इस संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईं:

कंपनी ने ₹ 28.90 करोड़ की लागत का उपर्युक्त जमा कार्य का उत्तरदायित्व लिया और हरियाणा पी.डब्लू.डी. संहिता के उल्लंघन में निधियों की प्राप्ति के बिना देयता कर दी।

कार्य के प्रारंभ से पहले प्रशासनिक और तकनीकी संस्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी।

प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक लेखाओं के अननुरक्षण के कारण कार्य, जो दो अनुशीर्षक कार्यों के लिए ₹ 28.90 करोड़ की निधियों के विपथन के कारण रह गए थे, की पहचान नहीं की जा सकी।

चूंकि पी.डब्लू.डी. (बी. एंड आर.) का प्रमुख अभियंता भी कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में काम करता है इसके कारण कंपनी की स्वायतता का क्षय हुआ और कंपनी को निधियों की अग्रिम प्राप्ति के बिना तथा संहितिक अपेक्षाओं के उल्लंघन में कार्य प्रचालित करने पड़े थे।

एक्जिट कान्फ्रेंस (नवम्बर 2012) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) विभाग, हरियाणा सरकार तथा कंपनी के एम.डी. ने अनुच्छेद में उठाए गए बिंदु से सहमत होते हुए बताया कि इस मामले में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था तथा इस कार्य पर व्यय की गई आवश्यक निधियां राज्य सरकार से मांगी गई थी।

इस प्रकार, कंपनी ने निधियों की अग्रिम प्राप्ति के बिना अनियमित रूप में ₹ 28.90 करोड़ का व्यय किया।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

4.11 ब्याज की हानि

अन्तरीय दावों के अप्रस्तुतिकरण के कारण ₹ 1.57 करोड़ के ब्याज की हानि

भारत सरकार/एफ.सी.आई द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार, कंपनी भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.सी.पी.)[१] पर राज्य में अनाज के प्रापण में संलग्न है। कंपनी द्वारा प्राप्त बाजरा विभिन्न स्थानों पर गोदामों में भंडार किया गया है और एफ.सी.आई के उदाहरण पर खुली निविदाओं के द्वारा बेचा जाता है। यह क्रेताओं को बाजरा उनसे भुगतान संग्रहण करने के बाद वितरित करती है। भारत सरकार/एफ.सी.आई एक

१ एम.एस.पी. वह मूल्य है जिस पर सरकार सीधे किसानों से उपज खरीदने के लिए तैयार होती है यदि उपज मूल्य एम.एस.पी. से निम्नतर चला जाता है।

अस्थाई आर्थिक लागत (पी.ई.सी) निर्धारित करती है जिसमें एम.एस.पी. प्लस कंपनी द्वारा किए गए प्रासंगिक प्रभार जैसे बाजार शुल्क, दामी, मंडी श्रम प्रभार, भंडारण प्रभार, ब्याज प्रभार तथा गनी बैग की लागत इत्यादि प्रतिपूर्ति के लिए शामिल होती है। यदि बाजरा के निपटान से वसूली पी.ई.सी. से कम है तो कंपनी एफ.सी.आई. से अंतरीय राशि का दावा करती है।

कंपनी ने 2008-09 खरीफ मार्केटिंग सीजन (के.एम.एस.) के दौरान ₹ 987.29 प्रति क्विंटल की पी.ई.सी. दर पर 89,646 एम.टी. बाजरे का प्रापण किया। कंपनी ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान 2008-09 के एम.एस. से संबंधित 88,490♠ एम.टी. बाजरा विभिन्न दरों लेकिन पी.ई.सी. से कम पर निपटा दिया। प्रक्रिया के अनुसार इन विक्रय संपादनों के अंतरीय दावे भुगतान के लिए तुरंत एफ.सी.आई. को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। हमने अवलोकित किया (जनवरी 2011) कि हिसार के संबंध में 35,527 एम.टी. बाजरा के लिए ₹ 5.09 करोड़ तथा जींद जिलों के संबंध में 17,824 एम.टी. बाजरा के लिए ₹ 1.57 करोड़ की राशि के अंतरीय दावे कंपनी द्वारा एफ.सी.आई. को प्रस्तुत नही किए गए थे। अगस्त 2012 तक भी स्थिति मे परिवर्तन नहीं हुआ था।

एग्जिट कांफ्रेंस (3 सितंबर 2012) के दौरान वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, कृषि विभाग, हरियाणा सरकार ने तथ्य स्वीकार किए तथा तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इस प्रकार, स्टॉक की सुपुर्दगी से पहले कतलाज पर हस्ताक्षर करवाने में कंपनी की विफलता तथा बाद में अंतरीय दावे तुरंत प्रस्तुत करने में समर्थन होने के कारण कंपनी ने इस अवरूद्ध पूंजी पर ₹ 1.57* करोड़ के ब्याज की हानि उठाई (अगस्त 2012 तक)।

हम कंपनी को, ऐसे विलंबों, जो इसके अर्थिक हितों को हानि पंहुचाते हैं, की पुनरावृत्ति के परिहार के लिए प्रक्रियाएं विकसित करने हेतु सिफारिश करते हैं।

सामान्य

4.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लंबित उत्तर

4.12.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सरकार के विभागों तथा विभिन्न कार्यालयों में अनुरक्षित लेखाओं और अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ प्रारंभ संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा को निरूपित करता है। अत: यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से

♠ कुल प्राप्त मात्रा और विक्रय में अंतर सूखे के कारण है।

* बाजरा के विक्रय से एक महीने का मार्जिन अनुमत करने के बाद 10.30 प्रतिशत की नकद क्रेडिट दर पर परिकलित।

समुचित तथा सामायिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निदेश जारी किए (जुलाई 1996) कि वे उनके विधान सभा को प्रस्तुति के तीन महीनों की अवधि के अंदर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेद/समीक्षाओं के उत्तर (विधान सभा को उनके प्रस्तुतिकरण के तीन माह की अवधि के भीतर) किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारित फोर्मेट में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किए (जुलाई 1996)।

यद्यपि 2009-10 तथा 2010-2011 के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा को क्रमश: मार्च 2011 तथा फरवरी 2012 में प्रस्तुत किए गए थे, तीन विभागों ने, जिन पर टिप्पणियां की गई थी, नीचे इंगित किए अनुसार 27 अनुच्छेदों/समीक्षाओं में से 14 के उत्तर 31 मार्च 2012 तक प्रस्तुत नहीं किए।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट समीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या		समीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे	
	समीक्षाएं	अनुच्छेद	समीक्षाएं	अनुच्छेद
2009-10	2	14	1	08
2010-11	2	9	2	03
कुल	**4**	**23**	**3**	**11**

विभाग-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 12*** में दिया गया है। प्रतीक्षित उत्तर मुख्यत: विद्युत विभाग से थे। सरकार ने प्रणाली की विफलताएं, कुप्रबंधन और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वन में कमियां जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर विशेष बल देने वाली समीक्षाओं पर भी अनुक्रिया नहीं की।

लोक उपक्रम समिति (कोपु) के प्रतिवेदनों पर लंबित कृत कार्यवाही टिप्पणियां

4.12.2 मार्च 2007 और मार्च 2012 के बीच राज्य विधान सभा को प्रस्तुत कोपु के चार प्रतिवेदनों से संबंधित नौ अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मार्च 2012)। जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

कोपु रिपोर्ट का वर्ष	आवेष्टित रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपु रिपोर्ट में अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2006-07	1	47	2 (अनुच्छेद संख्या 10 एवं 44)
2008-09	1	14	1 (अनुच्छेद संख्या 14)
2010-11	1	10	1 (अनुच्छेद संख्या 8)
2011-12	1	08	5 (अनुच्छेद संख्या 1 से 3, 5 एवं 8)
कुल	**4**	**79**	**9**

कोपु के इन प्रतिवेदनों में पांच[@] विभागों से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें सम्मिलित हैं जो 1999-2000 से 2007-08 के वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रकट हुई थी।

कोपु की लंबित सिफारिशें

4.12.3 ***परिशिष्ट 13*** में दिए अनुसार 1976-77 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 156 सिफारिशें से समायुक्त समिति के 24 प्रतिवेदन, 31 मार्च 2012 तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। विभागों द्वारा, इन सिफारिशों के अकार्यान्वन के कारण कोपु द्वारा वांछित सुधार प्राप्त नहीं किए जा सके।

निरीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप अनुच्छेद और निष्पादन लेखापरीक्षा

4.12.4 लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा देखी गई और स्थल पर समायोजित न की गई अभियुक्तियां पी.एस.यूज के संबंधित अध्यक्षों और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आर.) के माध्यम से सम्प्रेषित की जाती हैं। पी.एस.यूज के अध्यक्षों को आई.आरज के उत्तर संबंधित विभागों के अध्यक्षों द्वारा छः सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं। मार्च 2012 तक जारी आई.आरज की समीक्षा ने प्रकट किया कि 11 विभागों से संबंधित 100 आई.आरज से संबंधित 410 अनुच्छेद 30 सितंबर 2012 तक लंबित रहे। 30 सितंबर तक लंबित आई.आरज और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विभागवार विघटन ***परिशिष्ट 14*** में दिया गया है।

सरकार ने अपने उत्तर (जून 2012) में बताया कि अनुवर्ती कार्यवाही प्रभावशाली रूप से की जा रही है। उन्होंने बताया कि विस्तृत निर्देश मार्च तथा अप्रैल 2007 में जारी किए गए थे और विभिन्न विस्तृत निर्देश/स्मरण पत्र सभी विभागों तथा पी.एस.यूज को समय-समय पर जारी किए जाते हैं। सरकार का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कई पी.एस.यूज लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को ए.टी.एनज़ समय पर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

इसी प्रकार, प्रारूप अनुच्छेदों और पी.एस.यूज़ के कार्यचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक विभागों के सचिवों को अर्ध-सरकारी तौर पर तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि और उन पर उनकी टिप्पणियां छः सप्ताह की अवधि के भीतर प्राप्त करने के लिए अग्रेषित किए जाते हैं। तथापि, क्रमशः जुलाई 2012 एवं सितंबर 2012 के दौरान अग्रेषित एक प्रारूप अनुच्छेद (उद्योग विभाग) तथा उद्योग विभाग से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के उत्तर अभी तक नहीं दिए गए थे (दिसम्बर 2012)।

@ विद्युत, उद्योग, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.), पर्यटन और वन।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार सुनिश्चित करें कि (क) कर्मचारी जो निर्धारित समय सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप अनुच्छेदों/समीक्षाओं के उत्तर तथा कोपु की सिफारिशों के लिए ए.टी.एन. भेजने में विफल रहते हैं के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया विद्यमान है; (ख) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली के लिए कार्यवाही निर्धारित अवधि के भीतर की जाती है; तथा (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया की प्रणाली पुनः तैयार की जाती है।

ओंकार नाथ

चण्डीगढ़ **(ओंकार नाथ)**
दिनांक : **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांक : **भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक**